

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्र-परिषद के महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

9 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्र-परिषद की बैठक में मंत्र-परिषद ने प्रदेश में सार्वजनिक वतिरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में 'मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत' योजना लागू करने की अनुमति देने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि ।

प्रमुख बदि

- मंत्र-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य वभिग की 23 सी.एम. राईज योजना के उच्चतर माध्यमिक शाला भवन नरिमाण की 678 करोड़ 82 लाख 25 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति देने का नरिणय लयि गयल ।
 - नरिणय के अनुसार सी.एम. राईज योजना में 23 स्कूल भवन नरिमाण कार्यों में से 11 कार्यों की नरिमाण एजेंसी परयोजना करयिान्वयन इकाई, लोक नरिमाण वभिग, 6 कार्यों की नरिमाण एजेंसी भवन वकिस नगिम तथा 6 कार्यों की नरिमाण एजेंसी मध्य प्रदेश पुलसि हाउसगि एवं अधो-संरचना वकिस नगिम को बनाया गयल है ।
 - इसके साथ ही जनजातीय कार्य को वतितीय वर्ष के पूंजीगत मद में प्रावधानति बजट से सी.एम. राईज योजना में नरिमाण कार्यों को स्वीकृत कयि जाने के लयि सूचकांक से मुक्त रखे जाने की अनुमति दी गई ।
- मंत्र-परिषद ने प्रदेश में सार्वजनिक वतिरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में 'मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत' योजना लागू करने की अनुमति दी । इसमें उद्यम क्रांति योजना के प्रथम चरण में 888 बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा ।
 - इससे लक्षति सार्वजनिक वतिरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आवंटति राशन सामग्री को प्रदाय केंद्र से उचति मूल्य दुकानों तक परविहन कराया जाएगा ।
- मंत्र-परिषद ने नरवाई जलाने की प्रथा को हतोत्साहति करने, कृषि यंत्रिकरण को बढ़ाने और भूमि में नमी का संरक्षण करने के लयि 'फसल अवशेष प्रबंधन' योजना को संचालति करने का नरिणय लयि ।
 - योजना में उपयोगी शक्ति चालति कृषि यंत्रों को चहिनति कर कृषकों द्वारा इन्हें करय करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा । लघु, सीमांत, महिला, एस.सी. और एस.टी. कृषकों को 50 प्रतिशति एवं अन्य कृषकों को 40 प्रतिशति अनुदान दयि जाएगा ।
 - योजना का करयिान्वयन कृषि अभियंत्रिकी संचालनालय द्वारा कयि जाएगा ।
- मंत्र-परिषद ने ग्रामीण युवाओं को बैंक ऋण आधार पर कस्टम प्रोसेसगि केंद्र स्थापना के लयि अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु नवीन योजना 'प्राथमिक प्र-संस्करण को प्रोत्साहन योजना' को संचालति करने का नरिणय लयि है । योजना का करयिान्वयन कृषि अभियंत्रिकी संचालनालय द्वारा कयि जाएगा ।
- मंत्र-परिषद ने 'मुख्यमंत्री मत्स्य-वकिस योजना' को आगामी 2 वर्षों (2022-23 एवं 2023-24) के लयि लागू करने का नरिणय लयि । योजना 2 वर्षों में प्रदेश में मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य-उत्पादन वृद्धि के लयि 100 करोड़ रुपए व्यय कयि जाएगा ।